बड़खल तहसील में ग्रीन बेल्ट पर चल रहा वाहन स्टैंड

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पार्किंग स्थलों की कृत्रिम कमी से जूझ रहे शहर की खूबसूरती यहां के अधिकारियों ने ही चौपट कर रखी है। सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के पार्किंग स्थल के नाम पर चारों ओर की सड़कें यहां तक कि फुटपाथ, करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए नए-नए साइकिल ट्रैक से जनता को वंचित कर दिया गया। इसी तर्ज पर एसडीएम बड़खल ने भी ग्रीन बेल्ट को वाहन पार्किंग की भेंट चढ़ा दिया है।

देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल फरीदाबाद की आबोहवा दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों पौधे रोपने का लक्ष्य रखा जाता है। जिला प्रशासन, नगर निगम, हूडा, एफएमडीए, वन विभाग सहित सारे महकमों को हरियाली बढ़ाने की तरह तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। डीसी से लेकर सभी एसडीएम शहर को हरा-भरा किए जाने के रोजाना नए नए दावे करते नजर आते हैं।

सच्चाई यह है कि कई अधिकारी खुद ही हरियाली खत्म करने में लगे हैं। एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया उनमें से एक हैं। बड़खल तहसील परिसर के अंदर काफी खाली जगह पड़ी है लेकिन वाहनों के कारण एसडीएम साहब को अपने कार्यालय तक पहुंचने में कोई अड़चन न हो इसके लिए उन्होंने परिसर में वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लोगों को वाहन खड़े करने की समस्या हुई तो परिसर के बाहर ग्रीन बेल्ट में वाहन स्टैंड बनवा दिया। यह ग्रीन बेल्ट नगर निगम की जमीन पर बनाया गया है।

ठेकेदार भी कम नहीं था, उसने निर्धारित जगह से अधिक घेर कर सड़क के छोर तक अपना स्टैंड बढ़ा लिया। वाहनों के रौंदे जाने से बड़खल तहसील परिसर के सामने की ग्रीन बेल्ट तबाह हो गई, अब वहां वाहनों से धूल उड़ती रहती है। पौधेरोपण अभियान के दौरान एक पौधा हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने के बाद यह भी नहीं देखने वाले कि उनका लगाया पौधा जिंदा है या मर गया एसडीएम साहब को चाहिए कि ग्रीन बेल्ट से वाहन स्टैंड हटवाएं।

आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र चावला कहते हैं कि एसडीएम पंकज सेतिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नगर निगम की ग्रीन बेल्ट को बर्बाद करवा दिया।

ब्याज माफिया पर पुलिस नहीं करती कार्रवाई

-पुलिस की इसी कार्यशैली से फलफूल रहा बाहुबली ब्याज माफिया

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) यदि आपने मजबूरी में किसी ब्याज माफिया से धन उधार लिया, उसके बदले कई गुना ज्यादा रकम चुकाने के बावजूद वह आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो पुलिस के पास नहीं कोर्ट जाएं। यह हम नहीं डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादयान कह रहे हैं। समझा जा सकता है कि जब पुलिस के आला अधिकारी यह सोच रखते हैं तो उनके मातहत ब्याज माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे।

शहर में ब्याज माफिया के बढ़ते आतंक पर अंकुश लगाए जाने के लिए एडवोकेट एसके जोशी ने चार मई को सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करा कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में ब्याज माफिया से पीड़ित एसजीएम नगर निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा, पूजा शर्मा और सेक्टर 23 निवासी वीरेंद्र सिंह की जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायत की थी। राजेंद्र शर्मा ने सूदखोर संजीव कुमार उर्फ बिट्टू से 2016 में 1.90 लाख रुपये उधार लिए थे। अब तक वह बिट्टू को सात लाख रुपये दे चुके हैं लेकिन अभी भी वह उन से 3.40 लाख रुपये वसूलने दबाव डाल रहा है, उन्हें धमकियां दे रहा है।

यही हाल बुजुर्ग राजेंद्र प्रसाद शर्मा का है। सूदखोर यशपाल बवेजा ने उनसे तीन ब्लैंक चेक लेकर उन्हें दो लाख रुपये दिए थे। वह अब तक यशपाल बवेजा को 7.67 लाख रुपये चुका चुके हैं। अब यशपाल उनके ब्लैंक चेक में फर्जीवाड़ा कर मोटी रकम ऐंठने के लिए उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा है। एसजीएम नगर की पूजा भी सूदखोर मोनिका का शिकार हुई। इन तीनों पीड़ितों ने एसजीएम नगर और मुजेसर थाने में शिकायती पत्र दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सीएम विंडो पर भी शिकायत दी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस संबंध में पूछे जाने पर डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादयान ने बताया कि पीड़ित पक्ष को बुलाकर जानकारी ली गई थी। पीड़ित पक्ष सूदखोर से उधार लिए जाने का कोई लिखित सुबूत नहीं दिखा सका है। यदि पीड़ित पक्ष ने ब्लैंक चेक दिए हैं और सूदखोर उनका दुरुपयोग कर रहा है तो पीड़ित को कोर्ट केस करना चाहिए। पुलिस बिना सुबूत और दस्तावेज के कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस इन मामलों में कानूनी सलाह लेगी, यदि कार्रवाई का कोई पहलू बनता है तो कार्रवाई की जाएगी।

सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस की नजर में किसी व्यक्ति को जान से मारने, बर्बाद करने की धमकी देना जुर्म है या नहीं। यदि यह जुर्म है तो जबरन वसूली के लिए लोगों को यह धमकियां देने वाले ब्याज माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आला पुलिस अधिकारी के इस रवैये से समझा जा सकता है कि क्यों शहर में ब्याज माफिया फलफूल रहा है।

पदाधिकारी बेच कर खा गए कोरोना काल में खरीदे गए ऑक्सीजन सिलिंडर

रेडक्रॉस के पास नहीं है लापता ऑक्सीजन सिलिंडरों का रिकॉर्ड

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) कोरोना की आपदा में जहां लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवा रहे थे, रेडक्रॉस के भ्रष्ट पदाधिकारियों ने मोदी के आदेश का अक्षरश: पालन करते हुए आपदा में लूट कमाई के अवसर तलाश लिए। पहले तो ऑक्सीजन सिलिंडर जारी करने में सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपये निजी खाते में जमा करवाए और डकारे गए। आपदा खत्म होने पर सिलिंडर भी बेच डाले गए। अब रेडक्रॉस सोसायटी के पास न तो ऑक्सीजन सिलिंडर हैं और न ही उनसे संबंधित कोई रिकॉर्ड। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी विजिलेंस वालों का दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना बताता है कि भ्रष्टाचारियों की सत्ता में कितनी गहरी पैठ है।

कोरोना की दूसरी घातक लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत होने लगी तो सरकार ने ऑक्सीजन सिलिंडर और फ्लो मीटर खरीदने का निर्णय लिया।

फरीदाबाद में रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से करीब 27 लाख रुपये कीमत के ऑक्सीजन सिलिंडर और फ्लो मीटर खरीदे गए। रेडक्रॉस सोसायटी के आंकड़ों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में जिले में 2262 मरीजों को सोसायटी की ओर से सिलिंडर मुहैया करवाए गए। मज़दूर मोर्चा गतांक में प्रकाशित कर चुका है कि किस तरह ऑक्सीजन सिलिंडर देने के लिए सिक्योरिटी के नाम पर विमल खंडेलवाल नाम के एक निजी व्यक्ति के खाते में दस-दस हजार रुपये पेटीएम के जरिए मंगवाए गए। रेडक्रॉस सोसायटी के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार विमल खंडेलवाल ने इनमें से केवल पांच लोगों की ही सिक्योरिटी राशि लौटाई, बाकी लोगों की सिक्योरिटी राशि का बंदरबांट किया गया।

भ्रष्टाचार यहीं नहीं रुका, संकट खत्म होने के बाद ऑक्सीजन सिलिंडरों का भी वारा न्यारा किया जा सके इसके लिए इनकी खरीदी और जारी किए जाने का रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं किया गया। ऑक्सीजन संकट खत्म होने के बाद ही 27 लाख के इन सिलिंडरों और फ्लो मीटरों को भी औने-पौने दाम में बेच कर भ्रष्ट अधिकारी और सदस्य सारी राशि डकार गए। वर्तमान में रेडक्रॉस सोसायटी के स्टॉक में न तो एक सिलिंडर व फ्लो मीटर है न ही इनको किस संस्था, व्यक्ति को जारी किया गया है इसका ब्यौरा। ऐसा नहीं है कि विजिलेंस जांच में यह तथ्य उजागर नहीं हुए, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इधर, इस घोटाले में फंसे लोग यह कहते हुए अपने को निर्दोष साबित करने में जुटे हैं कि विजिलेंस ने दो-दो बार जांच कर ली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि विजिलेंस ने अभी किसी को निर्दोष भी घोषित नहीं किया है। खट्टर की विजिलेंस वही कुछ करती है जैसा कुछ करने का आदेश ऊपर से आता है।

सरकार की वाहवाही कर लूट लिया सरकारी खजाना

इंडस टेक एक्सपो में सरकारी संस्थानों से तीन गुना अधिक शुल्क वसूले जाने का आरोप

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सरकारी खजाने को लूटने के लिए तिकड़मबाजों ने सरकार की वाहवाही वाले इवेंट करने की तरकीब खोज निकाली है। इस तरह के इवेंट करो जिससे सरकार का नाम हो, भले ही इसके लिए सरकारी विभागों को हलाल कर दो। ऐसा ही इस वर्ष सेक्टर 12 कोर्ट ग्राउंड में आयोजित हुए इंडस टेक एक्सपो में भी हुआ। यहां आयोजकों ने सरकारी संस्थानों के स्टॉल के लिए निजी संस्थाओं से ढाई से तीन गुना ज्यादा शुल्क वसूला। इसकी शिकायत करने वाले को आयोजक अपनी ऊंची पहुंच की धौंस दिखा कर डरा रहे हैं।

द्रोणाचार्या इवेंट नाम की निजी कंपनी की ओर से सेक्टर 12 में इस वर्ष 6-8 जनवरी के बीच इंडस टेक मशीन टूल्स एंड ऑटोमेशन एक्सपो का आयोजन किया गया था। इवेंट कंपनी का दावा था कि एक्सपो में सरकारी और निजी संस्थानों के पांच सौ से अधिक स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो में नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एनएसआईसी) और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) की ओर से करीब तीस स्टॉल लगवाए गए थे। सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता धर्मवीर सिंह का आरोप है कि इवेंट कंपनी ने सरकारी संस्थानों से प्रति स्टॉल 81 हजार प्लस जीएसटी यानी करीब 95 हजार रुपये शुल्क वसूला। इसके विपरीत निजी संस्थानों से 28 हजार से 35 हजार रुपये के बीच प्रति स्टॉल शुल्क वसूला गया। उनका आरोप है कि आयोजकों ने सरकारी संस्थानों से ढाई से तीन गुना ज्यादा धन वसूल कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। यह सब सरकारी संस्थान के अधिकारियों की मिलीभगत से ही किया गया। उनका यह भी आरोप है कि बहुत से स्टॉल वालों से शुल्क तो लिया गया लेकिन उनकी रसीद नहीं काटी गई, इस तरह जीएसटी हड़पने का भी खेल किया गया। यदि लगाए गए स्टॉल, उनको दी गई रसीदों और वसूले गए शुल्क का सत्यापन किया जाए तो सारी धांधली सामने आ जाएगी। उन्होंने सरकारी खजाने को हुए नुकसान की वसूली करने और संस्था को ब्लैक लिस्ट करने की मांग करते हुए 18 जनवरी 2023 को एमएसएमई, एनएसआईसी सहित केंद्र और राज्य सरकार को शिकायती पत्र भेजा।

उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद जांच तो क्या शुरू हुई, इवेंट कंपनी के संचालकों ने उनसे संपर्क किया। संचालकों ने उनसे कहा कि कहीं भी शिकायत कर लो कुछ होने वाला नहीं है। शिकायत का तो हम सभी जगह जवाब लगा देंगे लेकिन आपका जीवन कीमती है, सुरक्षित रहिए क्योंकि सड़क पर निकलने पर कुछ भी हो सकता है।

धर्मवीर सिंह को शिकायत किए हुए चार महीने होने वाले हैं लेकिन उन्हें कहीं से पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि हेराफेरी निचले स्तर पर नहीं बल्कि उच्चतम स्तर तक है।